दिनांक 03.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का संज्ञान लेकर तत्काल पोस्ट अपलोड करने वाले युवक की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 03–06–2025 को जनपद अम्बेडकरनगर के थाना इब्राहिमपुर, क्षेत्र निवासी लगभग 22 वर्षीय युवक द्वारा चूहे मार दवा का पैकेट के साथ **"लास्ट डे ऑफ माइ लाइफ"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 03–06 –2025 को समय सुबह 04:56 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद अम्बेडकरनगर को लगभग 09 मिनट के अन्दर प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना इब्राहिमपुर के उ0नि0 मात्र 13 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुँच गए, जहां पर उनके द्वारा परिजनों के सहयोग से अविलम्ब युवक का घरेलु प्राथमिक उपचार कराया गया। युवक के कुछ स्वस्थ होने के उपरांत जानकारी करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसकी एक लड़की से शादी तय हुई थी जो अब परिवार वालों द्वारा किसी कारणवश नहीं कराई जा रही है, जबकि वह उसी लड़की से शादी करना चाहता है। इस कारण गुस्से व तनाव में आकर उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा युवक की काउंसलिंग की गयी, जिस पर उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 31–05–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर **कुल 984 व्यक्तियों** के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है ।

एस0टी0एफ0–डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का सकिय सदस्य एवं 50,000/–रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त समीर प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांक 03–06–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–412/2022 धारा–395/412/120बी भादवि में वांछित 50,000/–रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त समीर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

समीर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सुम्हा तिवारीपुर खुर्द थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समयः

दूरदर्शन केन्द्र के सामने, थानाक्षेत्र कर्नलगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज दिनांक 03–06–2025 समय 11.05 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 03–06–2025 को फील्ड इकाई प्रयागराज टीम वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही में भ्रमणषील थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा बताया गया कि थाना कर्नलगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–412/2022 में वांछित 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त समीर दूरदर्शन केन्द्र के पास मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण साजित अली, अजय सिंह यादव, किशनचन्द्र, सोनू यादव, प्रभंजन पाण्डेय व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त समीर को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलरूप से ग्राम सुम्हा तिवारीपुर खुर्द थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। उसका एक संगठित गिरोह है, जो डकैती, लूट एवं चोरी आदि की घटनाएं करता है। इस गिरोह का सरगना अभियुक्त समीर के गांव का ही शहनशाह है। इस गिरोह के सदस्य समीर, वासिद अली, शेबू, मो0 सलीम एवं शक्ति सिंह आदि मुख्य रूप से सक्रिय है। दिनांक 16–08–2022 को शहनशाह समीर के घर आया और बताया कि मनमोहन पार्क चौराहा कटरा प्रयागराज में एक सरिया की दुकान है जहॉ से लगभग 02 से 2.5 करोड रूपये मिल जायेगें। इसके उपरान्त घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एक दिन पहले वह अपने साथियों के साथ सरिया की दुकान पर जाकर रेट पूछने के बहाने रेकी किया। अभियुक्त समीर व शेबू ने अपाचे बाइक चोरी करके नम्बर प्लेट बदल दिये उसके बाद शेबू और वासिद द्वारा थाना क्षेत्र सोरांव स्थित एचपी पेट्रोल पम्प के कैशियर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दिनांक 17–08–2022 को अभियुक्त समीर, शेबू, वासिद, मो0 सलीम एवं शहनशाह मऊआइमा में मिलकर सरिया की दुकान से लूट करने की योजना बनाने के उपरान्त अभियुक्त समीर, शेबू व शहनशाह स्विफ्ट कार से और मो0 सलीम व वासिद अपाचे बाइक से सिविल लाइन पहुॅचे, जहां पर शक्ति सिंह पहले से मौजूद था। उक्त सभी लोग मिलकर मनमोहन पार्क के पास थानाक्षेत्र कर्नलगंज स्थित सरिया की दुकान में असलहे के साथ घुसकर प्रियंक कुमार गुप्ता व उसके भतीजे मनी गुप्ता को गन प्वाइंट पर लेकर 06 लाख रूपये की लूट किये। घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग प्रतापगढ़ चले गये और लूट का पैसा आपस में बांट लिये। उक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त समीर को जानकारी हुई कि थाना कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें गिरोह के सरगना व इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार हो चुके है और मो0 सलीम द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका है। इस बात की जानकारी होने पर यह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर–उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर उपरोक्त को थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0–412/2022 धारा–395/412/120बी भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त समीर उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u> :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	412/2022	395/412/120बी भादवि **(वांछित)**	कर्नलगंज	प्रयागराज
2	443/2022	419/420/467/468/471/411 भादवि **(वांछित)**	कर्नलगंज	प्रयागराज
3	572/2022	395/412/120बी भादवि **(वांछित)**	सोरांव	प्रयागराज

जनपद कुशीनगर/थाना खड्डा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 करोड़ रूपये कीमत के धोखाधड़ी के जमीन/मकान/दुकान के कागजात, आभूषण, बिट क्वाइन, 02 चार पहिया वाहन, 02 मोटर साइकिल**
- **01 लाख 40 हजार रूपये भारतीय व 10 हजार 385 नेपाली मुद्रा**
- **घटना में प्रयुक्त 02 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 03 कूटरचित फ्रिंगर प्रिन्ट स्कैनर, 31 सिम, 04 पासबुक, पासपोर्ट, चेकबुक आदि बरामद**

दिनांक 03.06.2025 को थाना खड्डा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–रंजीत उर्फ अविनाश 2–विवेक 3–अमित 4–विनोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 करोड़ रूपये कीमत के धोखाधड़ी के जमीन/मकान/दुकान के कागजात, आभूषण, बिट क्वाइन, 02 चार पहिया वाहन, 02 मोटर साइकिल, 01 लाख 40 हजार रूपये भारतीय, व 10 हजार 385 नेपाली मुद्रा, घटना में प्रयुक्त 02 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 03 कूटरचित फ्रिगर प्रिन्ट स्कैनर, 31 सिम, 04 पासबुक, पासपोर्ट, चेकबुक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनता के लोगो को धोखाधड़ी/लालच देकर उनके बैंक खातों को साइबर अपराधियों को बेच कर धन अर्जित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना खड्डा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रंजीत उर्फ अविनाश निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

2–विवेक निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

3–अमित निवासी मथौली बाजार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

4–विनोद निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—लगभग 05 करोड़ रूपये कीमत के धोखाधड़ी के जमीन/मकान/दुकान के कागजात, आभूषण, बिट क्वाइन, 02 चार पहिया वाहन, 02 मोटर साइकिल।

2—01 लाख 40 हजार रूपये भारतीय व 10 हजार 385 नेपाली मुद्रा।

3—घटना में प्रयुक्त 02 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, 03 कूटरचित फ्रिगर प्रिन्ट स्कैनर, 31 सिम, 04 पासबुक, पासपोर्ट, चेकबुक आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना निगोही

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अर्टिगा कार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 03.06.2025 को थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम इनायतपुर वाले रोड पर पुरानी नहर कोठी के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मो0 शानू 2—अनीश घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अर्टिगा कार, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें अभियुक्त मो0 शानू विरूद्ध के जनपद बरेली, शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त अनीश के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, पीलीभीत के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 शानू निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली।

2–अनीश निवासी कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1–01 अर्टिगा कार।

2–01 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 25 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 02.06.2025 को थाना विसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्यू हैबतपुर ठेके के पास से अभियुक्त 1–रोहताश 2–चाँद 3–कालेश प्रताप 4–राम कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 25 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहताश निवासी ग्राम बिछन थाना जैथरा जनपद एटा।

2–चाँद निवासी चरण सिंह कॉलोनी प्रताप विहार थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3–कालेश प्रताप निवासी ग्राम जुगौरा थाना बलरई जनपद इटावा।

4–राम कुमार निवासी ज्यौराहा थाना बारीगर जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश, हालपता सादुल्लापुर थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 25 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद बांदा/थाना चिल्ला

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 ट्रैक्टर**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल व 03 बैट्री**
- **चोरी के 10 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 02/03.06.2025 की रात्रि थाना चिल्ला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घूरा रोड के पास से 02 अभियुक्तों 1—आकाश 2—कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 ट्रैक्टर, चोरी की 06 मोटर साइकिल व 03 बैट्री, चोरी के 10 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्ला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश निवासी डिघवट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

2—कृष्ण कुमार निवासी डिघवट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

बरामदगी

1—चोरी का 01 ट्रैक्टर।

2—चोरी की 06 मोटर साइकिल व 03 बैट्री।

3—चोरी के 10 हजार 500 रूपये नगद।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 58 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 580 ग्राम अवैध स्मैक**
- **310 ग्राम मिश्रित पाउडर**
- **33 हजार 500 रूपये नगद, आभूषण, 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 03.06.2025 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पशु पैठ तिराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1–अमजद 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 58 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 580 ग्राम अवैध स्मैक, 310 ग्राम मिश्रित पाउडर, 33 हजार 500 रूपये नगद, आभूषण, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमजद निवासी ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 58 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 580 ग्राम अवैध स्मैक।

2–310 ग्राम मिश्रित पाउडर।

3–33 हजार 500 रूपये नगद, आभूषण, 02 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02/03.06.2025 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नुमाइश चौराहा के पास से अभियुक्त 1–सुमित उर्फ लुक्का 2–शीलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–सुखवीर उर्फ नेता 4–बृजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुखवीर उर्फ नेता के विरूद्ध जनपद इटावा, औरैया, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 29 अभियोग, अभियुक्त सुमित उर्फ लुक्का, शीलू व बृजेश के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित उर्फ लुक्का निवासी ग्राम नगला चौधरी थाना सैफई जनपद इटावा।

2–शीलू निवासी परोख थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

3–सुखवीर उर्फ नेता निवासी नगला बाबा थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

4–बृजेश निवासी मुड़ियापुरा थाना बाह कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी की 15 मोटर साइकिल।

जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.06.2025 को थाना लहरपुर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पोंगलीपुर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1– जमी अहमद

2–जिशान 3–जुबेर खाँ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें अभियुक्त जमी अहमद के विरूद्ध जनपद सीतापुर, खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, दुष्कर्म, अपहरण, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग तथा अभियुक्त जिशान व जुबेर खाँ के विरूद्ध जनपद सीतापुर, खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लहरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जमी अहमद निवासी हाजीपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी।

2–जिशान निवासी ग्राम नीमगांव थाना नीमगांव जनपद खीरी।

3–जुबेर खाँ निवासी हरिदासपुर थाना खीरी जनपद खीरी।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

- **जनपद एटा/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 31–31 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कल्लन 2–सोनू 3–रमन को आजीवन कारावास व 31–31 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना सुलतानपुर घोष (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना सुलतानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बाबूलाल उर्फ बब्लू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिवाकर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना हाथीनाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना हाथीनाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(जे)(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रबली उर्फ बीरेन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शनि को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————